यू वन महरिया- जे. वी. जरिये यू वन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड ए.एन.आर.

बनाम

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

21 अगस्त, 2007

[सी. के. ठक्कर, जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 11(6) और 11(12) - मध्यस्थता खंड पक्षकारों के बीच निहित समझौते प्रदान करता है। बशर्ते कि प्रत्येक पक्ष अपने मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे - पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ तीसरे / पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति पर सर्वसम्मति तक पहुंचने में विफल रहे - उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक पक्ष द्वारा दायर मध्यस्थता याचिका जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को पीठासीन

मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की प्रार्थना की गई थी - पोषणीयता - अभिनिर्धारित, पोषणीय नहीं क्योंकि मध्यस्थता खंड ने 'भारतीय सड़क कांग्रेस परिषद' को स्पष्ट रूप से पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अधिकार दिया था यदि पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहे - भारत के मुख्य न्यायाधीश योजना, 1996 द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति 1996 - पैरा 2 ।

याचिकाकर्ताओं ने आंध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के कुछ हिस्सों को 4 - लेन करने की परियोजना के निष्पादन के लिए प्रत्यर्थी के साथ एक समझौता किया था। समझौते में एक मध्यस्थता खंड शामिल था जो तीन मध्यस्थों से युक्त एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पार्टियों के बीच विवादों के निपटारे का प्रावधान करता था। प्रत्येक पक्ष को एक मध्यस्थ नियुक्त करना था और पार्टियों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों को तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करना था जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था।

याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी के साथ एक समझौता किया था पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर, दोनों पक्षों ने एक-एक

मध्यस्थ नियुक्त किया। तथापि, इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत नहीं हो सके ।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, की धारा 11(6) और 11(2) के तहत वर्तमान याचिका में जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश योजना, 1996 द्‌वारा मध्यस्थों की नियुक्ति के अनुच्छेद 2 के साथ पढ़ा जाए, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि उन्होंने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को उनके मध्यस्थ के रूप में चुना था जो उनसे वरिष्ठ पद का न्यायाधीश हो। अर्थात् उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को पीठासीन मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

याचिका खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थता खंड को मात्र पढ़ने से ही इस बात में कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि पक्षकारों द्‌वारा नियुक्त दो मध्यस्थों के सर्वसम्मति पर पहुंचने में विफलता के मामले में पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति आई.आर.सी. परिषद (भारतीय सड़क कांग्रेस) द्‌वारा की जाएगी। खंड स्पष्ट रूप से स्पष्ट है और इसमें कोई

अस्पष्टता नहीं है। मध्यस्थता खंड की स्पष्ट भाषा के अलावा, यह मुद्दा उन्हीं पक्षों के बीच पहले के निर्णय द्वारा भी शामिल किया गया है जहां लगभग समान परिस्थितियों में, इस न्यायालय को अधिनियम के प्रावधानों और समझौते के तहत पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करने के अधिकार पर विचार करने के लिए कहा गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह आई. आर. सी. का अधिकार है कि यदि तीसरे / पीठासीन पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति में उपयुक्त नहीं हैं तो पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति की जाए। इसलिए, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी को इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के लिए सहमत होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में याचिकाकर्ताओं द्वारा नियुक्त मध्यस्थ से वरिष्ठ हैं।

[पैरा 9,10,12 और 15] [181-ई; 182-ए, डी; 183-एफ]

यू वन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड एन. आर. वी. राष्ट्रीय भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, [2006] 4 एस. सी. सी. 372, निर्दिष्ट।

नागरिक मूल क्षेत्राधिकारः 2007 की मध्यस्थता याचिका सं. 12 ।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(12) सपठित धारा 11(6) के अंतर्गत

याचिकाकर्ताओं की ओर से आर. पी. भट्ट, रविकेश के. सिन्हा और अभिजात पी. मेध ।

प्रत्यर्थी की ओर से मुकुल रोहतगी और वी. बी. जोशी।

न्यायालय का निर्णय सी. के. ठक्कर द्वारा सुनाया गया।

यह याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 11(6) और धारा 11(12) के अंतर्गत दायर की गई जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति योजना 1996 के पैरा 2 तीसरे / पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए समझौते / अनुबंध पैकेज संख्या NS - 23 / AP दिनांक 31 मई, 2001 अनुसार याचिकाकर्ताओं और प्रत्यर्थी के बीच समझौता हुआ।

2. याचिकाकर्ता एक 'संयुक्त उद्यम' हैं जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण (संक्षेप में ‘एनएचएआई’) के लिए कुछ अनुबंधों के निष्पादन के लिए दिनांक 10 मई, 2001 के संयुक्त उद्यम समझौते के आधार पर एक साथ आये थे। याचिकाकर्ता संख्या 1 कोरिया गणराज्य के कानूनों के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 75 - 95, से ओसोमून डोंग, चुंग कू, सियोल, कोरिया 100 110 है। मूल रूप से इसे यू वन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जाना जाता था। संयुक्त उद्यम समझौते के समय और एनएचएआई के साथ 31 मई, 2001 के अनुबंध के समय भी कंपनी का तब से विलय हो गया है और इसे अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, सियोल, कोरिया इसी नाम से जाना जाता है: अधिनियम की धारा 2 (च) (ii) के अंतर्गत भारत के अलावा किसी अन्य देश में। याचिकाकर्ता संख्या 2 एक निजी लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित और पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए - 10, पंचवटी, आजादपुर, दिल्ली 110033 में है।

3. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने 31 मई 2001 में प्रत्यर्थी के साथ अनुबंध पैकेज संख्या एनएस - 23 / एपी के निष्पादन के लिए प्रत्यर्थी के साथ 4 - लेन किमी की एक परियोजना के रूप में 464.000 से किमी नागपुर हैदराबाद सेक्शन का 474.000 और किमी 9.400 और किमी आंध्र प्रदेश राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का हैदराबाद - बैंगलोर खंड 22.300 किमी Rs.74,88,79,544.69 के अनुबंध मूल्य पर एक समझौता किया। उक्त समझौते में एक मध्यस्थता खंड है जिसका मैं समुचित स्तर पर उल्लेख करूंगा।

4. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सितंबर, 2004 में, अर्थात् तीन साल से अधिक के अनुबंध के बाद - समझौता, प्रत्यर्थी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने संग्रहण का लाभ उठाने के लिए जाली बैंक गारंटी और अन्य अग्रिम अनुबंध समझौते के तहत प्रस्तुत की थी। प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता खंड को ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत के लिए अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में 2004 का ओ. एम. पी. संख्या 342 दायर किया। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को काम के निष्पादन के लिए स्थल पर उनके

द्वारा रखी गई मशीनरी और स्टॉक को हटाने और / या स्थानांतरित करने से रोकने के लिए अंतरिम निर्देश पारित किए। 13 दिसंबर, 2004 को प्रत्यर्थी ने समझौते के खंड 59 को लागू किया और अनुबंध को समाप्त कर दिया। दोनों पक्षों के बीच पत्रों और नोटिसों का आदान - प्रदान हुआ। अंततः, 7 अप्रैल, 2005 को एक संचार द्वारा, याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी को सूचित किया कि मध्यस्थता खंड के अनुसार, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति ए. के. श्रीवास्तव को अपना नामित मध्यस्थ नियुक्त किया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जून की दूसरी छमाही में, प्रत्यर्थी श्री सी. एस. बलराममूर्ति को संबोधित एक पत्र, जिसे कथित रूप से 7 अप्रैल, 2005 को जिसमें उन्हें एनएचएआई के नामित मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया। रिकॉर्ड से, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमत नहीं हो सके। प्रत्यर्थी एक 'तकनीकी' व्यक्ति को तीसरे मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का इरादा रखता था क्योंकि मामला 'अत्यधिक तकनीकी प्रकृति' का था, लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ने जोर देकर कहा कि पीठासीन मध्यस्थ एक सेवानिवृत्त

मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, जो उससे (न्यायमूर्ति श्रीवास्तव) वरिष्ठ होना चाहिए। यह रिकॉर्ड में भी है कि प्रत्यर्थी ने श्री के. पी. मोहंती को पीठासीन मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। हालाँकि, बाद में उनकी नियुक्ति जारी नहीं रखी गई। फरवरी, 2006 में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने मध्यस्थ के रूप में बने रहने के लिए अपनी अनिच्छा दिखाई थी और याचिकाकर्ताओं ने न्यायमूर्ति श्रीवास्तव के स्थान पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति वी. ए. मोहता को मध्यस्थ के रूप में नामित किया था। चूंकि पक्षकार तीसरे / पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में सहमत नहीं हो सके, याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका दायर की है जिसमें अनुरोध किया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को पीठासीन मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने मुझे मामले से निपटने और आवेदन पर एक उचित आदेश पारित करने के लिए नामित किया। तदनुसार याचिका मेरे समक्ष रखी गई थी।

5. 24 जनवरी, 2007 को नोटिस जारी किया गया था। पक्षकारों द्वारा शपथ पत्र और आगे के शपथ पत्र दायर किये गये थे।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी एनएचएआई को उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को पीठासीन / तीसरे मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए सहमत होना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को अपने मध्यस्थ के रूप में नामित किया है, तो प्रत्यर्थी को उक्त तथ्य पर विचार करना चाहिए था और याचिकाकर्ताओं द्वारा नियुक्त मध्यस्थ से वरिष्ठ रैंक के न्यायाधीश को नामित करने के लिए सहमत होना चाहिए था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवाद अनुबंध के नियमों और शर्तों की व्याख्या से संबंधित है और इसमें ऐसा कोई 'तकनीकी' तत्व नहीं है जिसके लिए 'तकनीकी' व्यक्ति की नियुक्ति की आवश्यकता हो। यह भी कहा गया था कि समान परिस्थितियों में, समान पक्षों के

बीच, पहले भी एक विवाद उत्पन्न हुआ था, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मध्यस्थता याचिकाएं दायर की गई थी और मुख्य न्यायाधीश के नामांकित व्यक्ति ने माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण को नियुक्त किया था, इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पीठासीन मध्यस्थ के रूप में। मौजूदा मामले में भी ऐसा ही रास्ता अपनाया जाना चाहिए था चूंकि यह नहीं किया गया था, इसलिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य है।

8. वहीं दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रासंगिक खंड भारतीय सड़क कांग्रेस परिषद (संक्षेप में 'आई. आर. सी.') को तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति में दो मध्यस्थों की विफलता के मामले में पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार देता है। चूंकि पक्षकारों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थ (एक ओर याचिकाकर्ता और दूसरी ओर प्रतिवादी) सर्वसम्मति पर नहीं पहुंच सके, इसलिए यह आई. आर. सी. की तीसरी मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति है और याचिका खारिज होने योग्य है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि इसी तरह का एक प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष यू वन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी

लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण (2006) 4 एस. सी. सी. 372 विचार के लिए आया था। जिसमें इस न्यायालय ने माना कि तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करना आई. आर. सी. का अधिकार है और याचिकाकर्ता किसी विशेष मध्यस्थ के लिए जोर नहीं दे सकते। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नामांकित व्यक्ति द्वारा पारित आदेश के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह एक सहमत आदेश था और प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार को तीसरे मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। अतः उक्त निर्णय याचिकाकर्ता की मदद नहीं करता है। यह भी आग्रह किया गया कि प्रश्न 'अत्यधिक तकनीकी' प्रकृति का है और इसलिए आई. आर. सी. एक 'तकनीकी' व्यक्ति को तीसरे / पीठासीन मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने पर जोर दे रहा है। इसलिए याचिका खारिज करने की मांग की गई।

9. पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने और समझौते और मध्यस्थता खंड का अध्ययन करने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा

सकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि 31 मई, 2001 के समझौते में एक मध्यस्थता खंड (खंड 3) शामिल है। उक्त खंड का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> "नियोक्ता और घरेलु ठेकेदार के बीच इस समझौते से उत्पन्न या जुड़े किसी भी मामले से संबंधित विवाद या मतभेद के मामले में, ऐसे विवाद या मतभेद का निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार किया जाएगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण में 3 मध्यस्थ होंगे, जिनमें से प्रत्येक की नियुक्ति नियोक्ता और ठेकेदार द्वारा की जाएगी और इस प्रकार दो मध्यस्थों द्वारा तीसरा मध्यस्थ चुना जाएगा जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। यदि पक्षकारों द्वारा नियुक्त दोनों मध्यस्थों की विफलता के मामले में नियुक्त मध्यस्थ की नियुक्ति से तीस दिन के भीतर सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए तत्पश्चात् पीठासीन मध्यस्थ काउंसिल ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया जाएगा"।

10. उपरोक्त खंड को मात्र पढ़ने से ही संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची है कि पक्षकारों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों के सर्वसम्मति पर पहुँचने में विफलता के मामले में पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति आई. आर. सी. परिषद द्वारा की जाएगी!

11. इस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि जब मामला 24 अप्रैल, 2007 को मेरे सामने रखा गया था तब पक्षकारों ने उपरोक्त खंड की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और यह प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों द्वारा कोई सर्वसम्मति नहीं बनाई जा सकी। तथ्य स्थिति और समझौते को ध्यान में रखते हुए, मैंने सोचा कि यह उचित है कि पक्षकारों को इस दिशा में नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। मैंने तदनुसार एक और प्रयास करने का आदेश पारित किया। दुर्भाग्य से, तथापि, प्रयास सफल नहीं हो सका और दोनों अधिवक्ताओं ने कहा कि मामले का फैसला गुणदोष के आधार पर करना होगा। तदनुसार, मामले की सुनवाई की गई।

12. मेरी राय में, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता सही है कि मध्यस्थता खंड की स्पष्ट भाषा के अलावा, इस बिन्दु को यू वन इंजीनियरिंग द्वारा भी शामिल किया गया। जिसमें लगभग

समान परिस्थितियों में, इस न्यायालय को अधिनियम के प्रावधानों और समझौते के तहत पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए प्रत्यर्थी के अधिकार पर विचार करने के लिए कहा गया था न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह आई. आर. सी. का अधिकार है कि यदि पक्षकार तीसरे / पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति में उपयुक्त नहीं हैं तो पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति की जाए।

13. इस न्यायालय ने कहाः

> "मध्यस्थता समझौता स्पष्ट रूप से आईआरसी द्वारा पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति की परिकल्पना करता है। ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मध्यस्थ को विवाद की प्रकृति के आधार पर एक अलग व्यक्ति होना चाहिए। इसे अनदेखा करना और धारा 11(6) में शक्तियों का प्रयोग करना संभव नहीं है। यदि पक्षकारों ने खुली आंखों से ऐसा समझौता किया है। "

(जोर दिया गया)

14. यह निस्संदेह सत्य है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 मई 2006 के अपने आदेश के तहत इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार को 2004 के ओएमसी संख्या 342 में पीठासीन मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है। उक्त आदेश इस मामले के रिकार्ड में है। उक्त आदेश के तीन अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं और वे निम्नानुसार है:

> " 3. पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता संयुक्त रूप से कहते हैं कि पूरा मुद्दा तीन मध्यस्थों का एक पैनल बनाकर हल किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित एक मध्यस्थ होगा और पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता की संयुक्त सहमति से इस न्यायालय द्वारा नियुक्त पीठासीन मध्यस्थ होगा। यह देखा जा सकता है कि आज की तारीख में याचिकाकर्ता ने श्री एल. आर. गुप्ता, महानिदेशक कार्य, सीपीडब्ल्यूडी (सेवानिवृत्त) को नामित किया है। जबकि प्रत्यर्थी ने न्यायमूर्ति एस. बी. वाड (सेवानिवृत्त) को नामित किया है। न्यायमूर्ति एस. बी. वाड (सेवानिवृत्त) को न्यायमूर्ति ए.के. श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) के स्थान पर

नामित किया गया था, जिन्होंने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की थी।"

" 4. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ता का प्रस्ताव है कि न्यायमूर्ति अरुण कुमार (सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश), 10, कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 (फोनः 2301-2175) को पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त किया जाए और तदनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया जाए।"

" 5. पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तावित पीठासीन मध्यस्थ और मध्यस्थ न्यायाधिकरण का संविधान इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है और उक्त न्यायाधिकरण संदर्भ में प्रवेश करने और पक्षकारों के बीच विवाद का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ेगा। तदनुसार आदेश दिया गया। ट्रिब्यूनल के संविधान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार (सेवानिवृत्त) पीठासीन मध्यस्थ होंगे, श्री एल. आर. गुप्ता और न्यायमूर्ति एस. बी. वाड (सेवानिवृत्त)

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के दो अन्य सदस्य होंगे। शुल्क न्यायाधिकरण द्वारा ही तय किया जाएगा।"

(जोर दिया गया)

15. प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ता सही थे जब उन्होंने प्रस्तुत किया कि आदेश पक्षकारों की "सहमति" पर आधारित था। जैसा कि वर्तमान मामले में, ऐसी कोई सहमति नहीं है, न्यायालय को मध्यस्थता खंड की व्याख्या करके मामले पर विचार करना होगा। खंड 3, जैसा कि पहले देखा गया है, स्पष्ट रूप से स्पष्ट है और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। पुनः इस विवाद का निर्णय इस न्यायालय द्वारा यू वन इंजीनियरिंग में किया जाता है। इसलिए, मेरे विचार में, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी को इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के लिए सहमत होने के लिए, जो माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहता से वरिष्ठ हों, को पीठासीन मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

16. अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही इस न्यायालय का विचार है कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता या आदेश पारित नहीं किया जा सकता, इसकी सराहना की

जा सकती है कि याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को अपना मध्यस्थ चुना है और उचित टिप्पणियां की जा सकती हैं ताकि आई. आर. सी. इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को पीठासीन मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सके। इससे याचिकाकर्ता उनके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

17. मैं याचिकाकर्ताओं की चिंता की सराहना करता हूं। तथापि मेरी राय में, जब मध्यस्थता खंड स्पष्ट है और बिंदु इस न्यायालय के निर्णय द्वारा समाप्त हो गया है, तो मेरी ओर से ऐसी कोई टिप्प्णी करना उचित नहीं होगा। तथापि प्रत्यर्थी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले में उचित निर्णय लेने के लिये पूरी तरह से स्वतंत्र है।

18. उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, मैं पक्षकारों के इस तर्क पर कोई राय व्यक्त नहीं करता कि क्या उठाया गया विवाद 'तकनीकी' प्रकृति का है या नहीं। चूंकि मेरे लिए उस प्रश्न में पड़ना आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं इस मामले को वहीं छोड़ता हूं।

19. पूर्वगामी कारणों से, आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है, तथापि, पक्षकारों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

बी.बी.बी. याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हुमा कोहरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।